

संख्या 185
17/4/07



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण - पत्र

नवीकरण संख्या 256-2007-2008 (F-215)

फाइल संख्या F-14844

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राजा कान्ह डिग्री कालेज शिक्षा
समिति

ग्राम ध पो0-जगैसरगज, तह0-गौरीगज, जिला-सुलतानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र संख्या 1004/2001-02

दिनांक 06/02/2002 को दिनांक 06/02/2007 से पांच वर्ष की अवधि

के लिए नवीकृत किया गया है।

280 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 16/04/2007


सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AA 403253



सत्या प्रतिलिपि

उप निदेशक
कर्म समितियां तथा विद्वान
केवावाह (उ० प्र०)

२०/०५/२००७

राजीव कान्त डिग्री कॉलेज
सिद्धा समिति
सुलतानपुर
पिन - 14844
संशोधित - २००५ - १२

संशोधित स्मृति - पत्र

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. संस्था का नाम | : राजा कान्ह डिग्री कालेज शिक्षा समिति |
| 2. संस्था का पता | : ग्राम व पोस्ट- जगैसरगंज, तहसील-गौरीगंज
जिला- सुलतानपुर (उ०प्र०) |
| 3. संस्था का कार्यक्षेत्र | : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश |
| 4. संस्था का उद्देश्य | : |

V. B. Rao

B. Singh

M. Singh

S. Singh

R. Singh

ए.के. सिंह

A. K. Singh

B. Singh



श्रीतला लाला सत्ये प्रतिनिधि

राज्य शिक्षा अनुसंधान
परिषद (राज्य शिक्षा अनुसंधान
परिषद) सं. 1/1984/उ.प्र.

34/04/2000

1. यह चैरीटेबिल संस्था है। यह संस्था राजा कान्ह ट्रस्ट द्वारा संचालित होगी।
2. छात्र-छात्रा के शैक्षिक समुन्नयन हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
3. जाति, पंथ तथा वर्ग भेद रहित सचरित्र एवं राष्ट्र भक्त नागरिक बनाने हेतु उचित शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
4. बालक/बालिकाओं की व्यावसायिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
5. कम्प्यूटर, व्यवसाय, प्रबन्धन, होटल एवं यात्रा प्रबन्धन, सूचना तकनीकी आदि की शिक्षा की व्यवस्था करना।
6. पुस्तकालय विज्ञान, शिक्षा की व्यवस्था करना।
7. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जर्मन, फ्रेन्च, रसियन आदि भाषाओं के समुन्नयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, छात्रावास स्थापित करना तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
8. एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी आदि सभी प्रकार के विकास, उत्थान, प्रसार हेतु कार्य करना।
9. बेरोजगारी दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना व संचालित करना।
10. शिक्षा के उन्नयन के वृहद् रूप में- उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा (प्राविधिक), अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा, कृषि को संचालित करना।

5. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनका संस्था के इस स्मृति पत्र के संस्था के नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।

क्र०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
V.B. Rao 1	डॉ० विजय बहादुर राय पुत्र श्री राजनाथ राय	महादेवपुरम (निकट इंजीनियरिंग कालेज) पो० कूडाघाट जिला-गोरखपुर	संरक्षक	सेवानिवृत्त
2	डॉ० भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री शम्भू नाथ सिंह	गीता निकेतन, लाल डिग्गी सुलतानपुर	अध्यक्ष	नौकरी
3	डॉ० मदन मोहन सिंह पुत्र श्री कन्हैया सिंह	सेठ श्याम सुन्दर कालोनी पावर हाउस के पास पो० कादीपुर, सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	नौकरी
4	डॉ० सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र श्रीअवधेश नारायण सिंह	ग्राम० य पो० जगसरगंज सुलतानपुर	प्रबन्धक	नौकरी
5	प्रो० राजेन्द्र प्रसाद सिंह श्री काशी प्रसाद सिंह	पटेल नगर, पो० कादीपुर सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	नौकरी
6	श्री बन्देश बहादुर सिंह पुत्र श्री हर विलास सिंह	ग्राम० भवनशाहपुर पो० पर्वतपुर, सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	नौकरी
7	डॉ० आमोद कुमार सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	लेखापरीक्षक	नौकरी
8	डॉ० चन्द्रमूषण सिंह पुत्र श्री विष्णुदेव सिंह	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी
9	डॉ० ओंकारनाथ द्विवेदी पुत्र श्री राम अक्षैवर द्विवेदी	पटेल नगर (हाईडिल कालोनी के पीछे) दरियापुर, सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी
10	श्री शीतला ब्रह्म सिंह पुत्र श्री राम अभिलाष सिंह	ग्राम० शिवनगर, पो० हरगाँव, जिला- सुलतानपुर	सदस्य	नौकरी



सत्य प्रतिज्ञा

उप निबन्धक
समिति तथा विद्युत
कैलाबाद (उ० प्र०)

24/04/2007

- 6 हम गिन्न हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र के सदस्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है :-

दिनांक 4-2-07



सत्य प्रतिलिपि

का निरालोक
फॉर्म हस्ताक्षर तथा चिह्न
केवाबाद (उ० प्र०)

34/09/2007

हस्ताक्षर

V. B. Rao

M. B. Singh

N. M. Singh

S. Singh

R. Singh

पन्नेश बहादुर सिंह

A. K. Singh

C. Singh

S. Singh

श्रीतला नलका सिंह

- 6 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र के सदस्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है :-

दिनांक 4-2-07



सत्य प्रतिलिपि

पत्र निरालोक
फॉर्म 8(गि) का तथा चिट्ठा
केवाबाद (उ० प्र०)

34/09/2007

हस्ताक्षर

V. B. Rao

M. B. Singh

N. M. Singh

S. Singh

R. Singh

पन्नेश बहादुर सिंह

A. K. Singh

C. Singh

S. Singh

श्रीतला नलका सिंह

- 6 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता सूचित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र के सदस्य तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है :-

दिनांक 4-2-07



सत्य प्रतिबिम्बि

पत्र निदेशक
कार्य शिवालय तथा विट्ठल
केवावाड़ (उ० प्र०)

34/09/2007

हस्ताक्षर

V. B. Rao

M. Singh

N. M. Singh

S. Singh

R. Singh

पन्नेश बहादुर सिंह

A. K. Singh

C. Singh

S. Singh

श्रीतला नलका सिंह

नियमावली

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता

राजा कान्ह डिग्री कालेज समिति
ग्राम व पोस्ट-जगोसरगंज, तह0- गौरीगंज
जिला- सुलतानपुर(उ0 प्र0)
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
ःरमृति पत्र के अनुसार

3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था का उद्देश्य
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:

अच्छे चरित्र एवं शिक्षा संस्था से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है वह प्रबन्धक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखित रूप से सदस्यता शुल्क सहित देगा तदुपरान्त प्रबन्धक उसे बतौर सदस्य पंजीकृत कर सकता है एवं प्रबन्धक सदस्य को सदस्यता शुल्क की रसीद भी निर्गत करेगा। सदस्य को संस्था के नियमों एवं विनियमों के पालन करने व मानने के लिए लिखित रूप से ~~पत्र~~ वचनबद्ध होना अनिवार्य होगा। सदस्यों के वर्ग निम्न होंगे:-

S.Singh
A.K. Singh
Calcutta

अ- संरक्षक सदस्य:

डॉ० विजय बहादुर राव इस संस्था के संरक्षक सदस्य होंगे।

ब- आजीवन सदस्य: रूपय 5000/-सदस्यता शुल्क देकर सदस्य बनने वाले संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

स- विशिष्ट सदस्य: कोई भी व्यक्ति संस्था को नगद रूपयें 10,000/- धनराशि जमा करके अथवा इतने ही मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति देकर संस्था को विशिष्ट सदस्य बन सकता है।

द- सामान्य सदस्य: रूपया 50/-नकद धनराशि मासिक जमा करके कोई भी व्यक्ति साधारण सभा का सदस्य बन सकता है। परन्तु सामान्य सदस्यों को चुनाव से पूर्व 6माह से लगातार सदस्य होने की दशा में ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। सदस्यों को 18वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगा।



सदस्य प्रतिनिधि

सर्वे सभितया तथा चिन्तय
संस्थापक (20 20)

6. सदस्यता की समाप्ति:

1. मृत्यु, पागलपन, दीवालिया, अदालत द्वारा नैतिक अपराधी घोषित होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

संस्थापक
विशाल कर्ता
11/02/2022

(2)

- ii. संस्था के हितों के विरुद्ध आचरण करने पर किसी भी सदस्य की साधारण सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत करके सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- iii. संस्था में किसी भी लाभ के पद पर नियुक्ति होने पर संस्था से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- iv. त्याग पत्र देने पर।

7. संस्था के



- i. साधारण सभा
- ii. प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा:

गठन:

संरक्षक, विशिष्ट सदस्य, आजीवन सदस्य तथा सामान्य सदस्य समवेत रूप में साधारण सभा का गठन करेंगे।

बैठकें:

साधारण सभा की बैठकें दो प्रकार की होंगी—

क- सामान्य बैठक: सामान्यतः यह बैठक शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व मई/जून में हुआ करेगी।

ख- विशेष बैठक: किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से अथवा साधारण सभा के 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर बुलाई जायेगी। साधारण सभा की सामान्य व विशेष बैठक अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।

ग- प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव हेतु हर पाचवें वर्ष साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी। साधारण सभा की सामान्य व विशेष बैठक अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।

बैठक की सूचना अवधि: प्रबन्धकारिणी समिति के निर्वाचन के लिए 15 दिन एवं सामान्य कार्यों के लिए मात्र 7 दिन पूर्व दी गई सूचना पर्याप्त समझी जायेगी।

व्यक्तिगत सूचना

सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत सम्पर्क करके दी जायेगी। व्यक्तिगत सूचना में सदस्यों का सूचना प्राप्ति विषयक हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। सूचना प्रबन्धक द्वारा भेजी जायेगी। सूचना के साथ बैठक का स्थान, तिथि, समय व विचारणीय विषयों की सूची सलग्न होगी।

गणपूर्ति:

सभा की कार्यवाही चलाने के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में 30 मिनट प्रतीक्षा के बाद बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

प्रबन्धक द्वारा
11/02/2002

(3)
पुनः स्थागित बैठक बुलाई जाने पर गणपूर्ति की वाध्यता नहीं होगी। किन्तु स्थागित बैठक में केवल पिछली बैठक के प्रसारित विषयों पर ही विचार होगा। साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि बैठक के समय से आधे घंटे तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तो बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी यदि उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहेगी तो उपस्थित सदस्यगण बैठक चलाने हेतु विशिष्ट सदस्यों में से चेयरमैन का चुनाव करके बैठक चलाएंगे।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति सुनिश्चित करेगी।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:

1. निश्चित समय पर प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
2. संस्था के वार्षिक आय-व्यय को पारित करना, वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकार करना।
3. संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की भावी योजनाओं पर विचार विमर्श करके उसकी पूर्ति का प्रयास करना।
4. नियमानुसार सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना एवं नियमावली में प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तावित 2/3 सदस्यों के बहुमत से संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करना।

Singh

A. K. Singh
G. Singh

Prakash Singh

9. प्रबन्धकारिणी समिति:

गठन :



प्रबन्धकारिणी में कुल 10 सदस्य होंगे। साधारण सभा संरक्षक को छोड़ कर प्रबन्धकारिणी समिति के शेष पदाधिकारियों का चुनाव करेगी। जिनमें पदाधिकारी (i) संरक्षक (ii) अध्यक्ष एक (iii) उपाध्यक्ष एक (iv) प्रबन्धक एक (v) उपप्रबन्धक एक (vi) कोषाध्यक्ष तथा (vii) लेखापरीक्षक एक तथा तीन सदस्य होंगे। प्राचार्य तथा तीन शिक्षक और एक सदस्य तृतीय श्रेणी का वरिष्ठता क्रम में चक्रानुसार एक वर्ष के लिए प्रबन्ध समिति में अलग से सम्मिलित होंगे जो डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध वि० वि० फैजाबाद की परिनियमावली के प्राविधानों के अनुसार हैं।

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी। प्रबन्धकारिणी समिति के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक द्वारा बैठक अवश्यमेव बुलाई जायेगी।

बैठकें:
सत्य प्रतिनिधि

सत्य निबन्धक
सत्य प्रतिनिधि तथा निबन्धक
फैजाबाद (५० ५०)

प्रतिपाद्य कर्ता
प्रबन्धक कर्ता
11/07/20

सूचनाअवधि: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में प्रबन्धक द्वारा दी जाएगी।

गणपूर्ति: कार्यवाही की वैधता के लिए प्रबन्धकारिणी सभिति के 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य होगी। परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु स्थगित बैठक में केवल पूर्व घोषित एजेण्डे पर विचार होगा।



प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5वर्ष होगा। नवीन प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष की अनुमति से 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:
रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्ध समिति के 1/2 से अधिक सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

S.Singh

1. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के निर्माण हेतु धन, अनुदान तथा अन्य साधन जनता एवं सरकार से प्राप्त करेगी।
2. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के कार्यों पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी।
3. शासन से प्राप्त अनुदान एवं विकास अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित कराना।
4. संस्था की नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन का प्रस्ताव रखेगी।
5. आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

A.V.Singh

Chand

Chand

10. प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न हैं-

संरक्षक: संस्था की उन्नति के लिए मार्ग दर्शन देना।
अध्यक्ष: साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा आवश्यकतानुसार इनकी बैठकें बुलाने के लिए प्रबन्धक को परामर्श देना, समिति के सदस्यों एवं प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना।

उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाह करना तथा अध्यक्ष को वाञ्छित आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा उसके द्वारा

सत्य प्रतिनिधि

सौभे गये दायित्वों का निर्वाहन करना।

Chand

सर्व समितियों तथा पिट्यू
संकेत (80 30)

प्रधानमंत्री कृषि सहायता समिति
विकास कर्ता
11/02/2021

सूचनाअवधि: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में प्रबन्धक द्वारा दी जाएगी।

गणपूर्ति: कार्यवाही की वैधता के लिए प्रबन्धकारिणी सभिति के 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य होगी। परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु स्थगित बैठक में केवल पूर्व घोषित एजेण्डे पर विचार होगा।



प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5वर्ष होगा। नवीन प्रबन्धकारिणी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जायेगा। असाधारण परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल अध्यक्ष की अनुमति से 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रबन्धकारिणी समिति की पूर्ति: रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्ध समिति के 1/2 से अधिक सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

1. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं के निर्माण हेतु धन, अनुदान तथा अन्य साधन जनता एवं सरकार से प्राप्त करेगी।
2. प्रबन्धकारिणी समिति अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के कार्यों पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण रखेगी।
3. शासन से प्राप्त अनुदान एवं विकास अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित कराना।
4. संस्था की नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन का प्रस्ताव रखेगी।
5. आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न हैं-**

संरक्षक: संस्था की उन्नति के लिए मार्ग दर्शन देना।
अध्यक्ष: साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा आवश्यकतानुसार इनकी बैठकें बुलाने के लिए प्रबन्धक को परामर्श देना, समिति के सदस्यों एवं प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना।

उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाह करना तथा अध्यक्ष को वाञ्छित आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा उसके द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन करना।

सत्य प्रतिनिधि

सत्य प्रतिनिधि
 समिति के सदस्यों तथा पिट्टर
 के बीच (४० प्र०)

प्रधानमंत्री कृषि सहायता समिति
 विकास कर्ता
 11/02/2021

(5)

प्रबन्धक:

Singh

A. K. Singh

(सिंह)



अध्यक्ष के सहमति से साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठकों को बुलाना, समिति से संबंधित समस्त अभिलेखों का संरक्षण एवं सम्भारण करना, तथा 5000/- की धनराशि का तात्कालिक भुगतान करना एवं व्यय पत्रों पर हस्ताक्षर करना, प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तावित कार्यों को सम्मन्वय कराना, संस्था के विकास एवं सुचारु संचालन हेतु नियमानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन एवं वेतन वृद्धि तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं उपसमितियों का मनोनयन करना तथा उन समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों को सम्मन्वय कराना जो इस नियमावली द्वारा प्रदत्त हैं अथवा नियम विनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायेंगे एवं कराना। संस्था एवं विद्यालय के हित में मुख्य कार्यपालक एवं नियमक के रूप में आवश्यकतानुसार कार्य करना जिसकी बाट में प्रबन्ध समिति द्वारा औपचारिक पुष्टि कर ली जायेगी। साधारण सभा/प्रबन्ध समिति की अधियाधित बैठकों को सीधे बुलाने का अधिकार प्रबन्धक का होगा जिसमें किसी से अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। सदस्य बनाना तथा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना।

उपप्रबन्धक:

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक के सामान्य दायित्वों का निर्वाह करना और उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष:

संस्था के व्ययों के लिए संसाधनों को जुटाना, वित्त विशेष अभिलेखों का संभरण एवं संरक्षण करना, समिति के समस्त आय-व्ययों की सम्परीक्षा (आडिट) कराना एवं प्रबन्धकारिणी व साधारण सभा से पारित कराना।

लेखापरीक्षक:

संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा (आडिट) कर संस्था में पेश करना।

11. संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया: संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करने हेतु 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तभी मान्य होगा।

12. संस्था का कोष: प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर उक्त रखा जायेगा। जिसका संचालन कोषाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

सर्व प्रतिबंधित

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण: संस्था की नियमावली तथा सरकार द्वारा निर्धारित आडिटर द्वारा कालेज के आय-व्यय की सम्परीक्षा प्रति वर्ष कराया जायेगा।

प्रतिपादक
द्वारा
10/12/2020

13. निर्वाचन प्रक्रिया: प्रबन्धकारिणी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करा लिया जायेगा। इस हेतु अध्यक्ष की देख-रेख में साधारण सभा की बैठक प्रबन्धक द्वारा आहूत की जायेगी, जिसमें गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
15. न्यायालयी दायित्व: संस्था से सम्बन्धित समस्त वादों का निपटारा सिविल कोर्ट सुलतानपुर में ही होगा। संस्था द्वारा अथवा किसी के विरुद्ध न्यायालयी कार्यवाही का संचालन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।
16. संस्था की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण में साधारण सभा के 3/4 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी तथा हस्तान्तरण पत्र पर प्रबन्धक एवं अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
17. संस्था के अभिलेख: संस्था के समस्त अभिलेख जैसे—
1. सदस्यता पंजिका, 2. कार्यवाही पंजिका, 3. स्टाक रजिस्टर, 4. अन्य आवश्यक पंजिका, 5. रोकड़बही (कैशबुक) आदि प्रबन्धक के अधीन रहेंगे। इन अभिलेखों के समस्त दायित्व प्रबन्धक का होगा। प्रबन्धक द्वारा प्रस्तावित साधारण सभा की सूची एवं नियमावली की प्रति अध्यक्ष के पास उपलब्ध रहेगी। संस्था का विघटन एवं विवादित संस्था की सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।



दिनांक 27.1.2021

बस प्रतिनिधि

एन.ए.ए. संस्था का सिस्टिम
एन.ए.ए. संस्था (एन.ए.ए.)

हरताक्षर प्रबन्धकारिणी समिति

S. Singh

A.K. Singh

(Signature)

(Signature)

संस्था का सिस्टिम
दिनांक 27.1.2021